सार्वजनिक उद्घोषणा

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

प्रफुल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर संगीता अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय–।।) ने सी.पी. (आई.बी.) सं. 651/एन.डी./2025 में दिनांक 31.08.2026 के अपने आदेश द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("संहिता") की धारा 95 के अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है तथा दिनांक 31.08.2026 से प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर सुश्री संगीता अग्रवाल के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N01048/2020-2021/13386, दिवाला पेशेवर आईपी सीएस लोवनीत हांडा को समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।

तदनुसार, व्यक्तिगत गारंटर के सभी लेनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित 26.09.2026 को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

प्रासंगिक विवरण

	विवरण	ब्यौरा
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	सुश्री संगीता अग्रवाल
2.	जिस कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में गारंटी दी गई है, उसका नाम	प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	कॉर्पोरेट देनदार का सीआईएन	U74899DL1990PTC041369
4.	कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय	349, प्रथम तल, नया कटरा, चांदनी चौक, नई दिल्ली – 110006
5.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	401–501, धरम पैलेस–2, पार्ले प्वाइंट, सूरत– 395007, गुजरात
6.	दिवाला आवेदन स्वीकार करने संबंधी आदेश का विवरण	माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय–।।) द्वारा पारित दिनांक 31.08.2026 के आदेश के अनुसार, सीपी (आईबी) सं. –651/एनडी/2025
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख	31.08.2026
8.	समाधान पेशेवर का नाम	आईपी सीएस लवनीत हांडा
9.	समाधान पेशेवर का आईबीबीआई पंजीकरण क्रमांक	IBBI/IPA-002/IP-N01048/2020-2021/13386
10.	समाधान पेशेवर का पता	201, द्वितीय तल, पार्क व्यू कॉम्प्लेक्स, प्लॉट संख्या 48, हसनपुर, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092
11.	दावों को प्रस्तुत करने हेतु ई–मेल पता	pg.Sangeeta95@gmail.com, loveneet.cs@gmail.com
12.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	26.09.2026
13.	दावे प्रस्तुत करने का माध्यम	नीचे उल्लिखित पते/ई–मेल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम / कूरियर /स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा

व्यक्तिगत गारंटर के सभी लेनदारों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपने दावों को, उसके प्रमाण सहित, दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 26.09.2026 को या उससे पूर्व समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत करें। दावा दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा निर्धारित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2019 में निर्धारित प्रपत्र ख में, सहायक दस्तावेजों और दावे के प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

लेनदारों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके दावे सभी प्रकार से पूर्ण हों और उचित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हों। दावे का सत्यापन किया जाएगा और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर/– आईपी सीएस लवनीत हांडा
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
IBBI रजिस्ट्रेशन सं. IBBI/IPA-002/IP-N01048/2020-2021/13386

तिथि: 05.09.2026
स्थान: दिल्ली

सार्वजनिक उद्घोषणा

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

प्रफुल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर सलोनी आयुष अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय–।।) ने सी.पी. (आई.बी.) सं. 652/एन.डी./2025 में दिनांक 31.08.2026 के अपने आदेश द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("संहिता") की धारा 95 के अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है तथा दिनांक 31.08.2026 से प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर सुश्री सलोनी आयुष अग्रवाल के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N01048/2020-2021/13386, दिवाला पेशेवर आईपी सीएस लोवनीत हांडा को समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।

तदनुसार, व्यक्तिगत गारंटर के सभी लेनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित 26.09.2026 को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

प्रासंगिक विवरण

	विवरण	ब्यौरा
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	सुश्री सलोनी आयुष अग्रवाल
2.	जिस कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में गारंटी दी गई है, उसका नाम	प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	कॉर्पोरेट देनदार का सीआईएन	U74899DL1990PTC041369
4.	कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय	349, प्रथम तल, नया कटरा, चांदनी चौक, नई दिल्ली – 110006
5.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	401–501, धरम पैलेस–2, पार्ले प्वाइंट, सूरत– 395007, गुजरात
6.	दिवाला आवेदन स्वीकार करने संबंधी आदेश का विवरण	माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय–।।) द्वारा पारित दिनांक 31.08.2026 के आदेश के अनुसार, सीपी (आईबी) सं. –652/एनडी/2025
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख	31.08.2026
8.	समाधान पेशेवर का नाम	आईपी सीएस लवनीत हांडा
9.	समाधान पेशेवर का आईबीबीआई पंजीकरण क्रमांक	IBBI/IPA-002/IP-N01048/2020-2021/13386
10.	समाधान पेशेवर का पता	201, द्वितीय तल, पार्क व्यू कॉम्प्लेक्स, प्लॉट संख्या 48, हसनपुर, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092
11.	दावों को प्रस्तुत करने हेतु ई–मेल पता	pg. saloni95@gmail.com, loveneet.cs@gmail.com
12.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	26.09.2026
13.	दावे प्रस्तुत करने का माध्यम	नीचे उल्लिखित पते/ई–मेल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम / कूरियर /स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा

व्यक्तिगत गारंटर के सभी लेनदारों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपने दावों को, उसके प्रमाण सहित, दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 26.09.2026 को या उससे पूर्व समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत करें। दावा दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा निर्धारित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2019 में निर्धारित प्रपत्र ख में, सहायक दस्तावेजों और दावे के प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

लेनदारों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके दावे सभी प्रकार से पूर्ण हों और उचित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हों। दावे का सत्यापन किया जाएगा और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर/– आईपी सीएस लवनीत हांडा
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
IBBI रजिस्ट्रेशन सं. IBBI/IPA-002/IP-N01048/2020-2021/13386

तिथि: 05.09.2026
स्थान: दिल्ली

MANAPPURAM HOME FINANCE LIMITED

Regd Office: 8/596 A, Padmaprabha Building, Near Sreerama Swami Temple, Cherppu - Thriprayar Road, Thriprayar, Thrissur, Kerala 680567
Phone No.: 0487-3520504,

मांग सूचना

जबकि मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 8/596 ए, पद्मप्रभा बिल्डिंग, श्रीराम स्वामी मंदिर के पास, चेरप्पु–त्रिप्रयार रोड, त्रिप्रयार, त्रिशूर, केरल 680567 के प्राधिकृत अधिकारी, और भारत में विभिन्न स्थानों पर शाखाएं हैं (जिसे आगे "MAHOFIN" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (एम) के उपखंड (iv) के अर्थ में एक वित्तीय संस्थान, जिसे भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी 18 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. एसओ 3466 (ई) के साथ पठित अन्य बातों के साथ–साथ आवासीय इकाइयों के निर्माण और/या खरीद के लिए ऋण देने का व्यवसाय करता है। और चूंकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम संख्या–2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं ने MAHOFIN से ऋण प्राप्त किया है और चूंकि MAHOFIN सरफासी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार और उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सका उनमें से कुछ पर विभिन्न कारणों से सेवा की गई। इसके अतिरिक्त नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं की जानकारी के प्रयोजनों के लिए, उक्त उधारकर्ताओं को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ऋण/खाता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण जिसके संबंध में ब्याज सूचित किया गया है	एनपीए की तिथि	नोटिस भेजने की तिथि और बकाया राशि
1	रबीना मुबीन, मुबीन मुबीन, /MHL01050003129/ अलवर	प्लॉट पट्टा नं. 030, संकल्प नंबर 04, ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़, पंचायत समिति रामगढ़, अलवर, अलवर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में, राजस्थान, पिनकोड 301026 पूर्व – सुलेमान और वीर सिंह का मकान, दक्षिण – उमर का मकान, दक्षिण – सरदार की जमीन, उत्तर – आम रास्ता	15-07-2026	11-08-2026 & Rs.379558/-

अतः ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता के विरुद्ध ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करें। संबंधित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता द्वारा कुल बकाया राशि के साथ–साथ अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर, MAHOFIN को ऊपर वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय MAHOFIN द्वारा वहन की गई लागत, शुल्क और ब्याय के साथ संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने पर छुड़ाया जा सकता है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने और/या उनसे निपटने से रोका जाता है।

दिनांक 07.09.2026, स्थान: राजस्थान — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

एलिरॉक्स एब्रेसिव्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 4, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली–110001
कॉर्पोरेट कार्यालय : 7एफ–7एच (7वीं मंजिल), हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001
ई–मेल: scml@dalmiadelhi.com, alirox@dalmiadelhi.com **वेबसाइट:** www.alirox.com
फोन: 011– 45685625, 011–41070069 **CIN:** L74899DL1944PLC000759

सूचना

कंपनी की 82वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को प्रातः 11.00 बजे मीटिंग रूम, 7एफ–7एच (7वीं मंजिल), हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 में आयोजित की जाएगी।

कंपनी के इक्विटी शेयरों के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 23 सितंबर, 2026 से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों को कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ, यथासंशोधित, तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और सदस्य बैठक के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके अपने मत डाल सकते हैं (रिमोट ई–वोटिंग)।

बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट वर्ष. 2025–26 के साथ रिमोट ई–वोटिंग विवरण सदस्यों को अनुमत/अनुरोधित माध्यम से भेज दिए गए हैं। यह संचार और बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.alirox.com और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सेवाओं को अधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा 27 सितंबर, 2026 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और 29 सितंबर, 2026 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2026 को सदस्यों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2026 को शेयर रखता है, वह Einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर या 18003094001 पर संपर्क करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत दे दिया है, वे बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा अपना मत देने के हकदार नहीं होंगे। केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो AGM में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बैठक में मतदान करने के पात्र होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य/लाभकारी स्वामी निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन श्याम कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, फोन नं. 18003094001, ई–मेल: Einward.ris@kfintech.com.

अलिरॉक्स एब्रेसिव्स लिमिटेड के लिए
(सोनल पोपली)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: ए44167

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 सितंबर, 2026

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टावर्स (पूर्ववर्ती शिव बिल्डिंग), 139/140/बी/1, सहर रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (ई), मुंबई – 400057, दूरभाष: 022– 6849 2450, फैक्स: 022– 6741 2313, सीआईएन: u67190MH2007PTc168303; ईमेल: info@phoenixarc.co.in: वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in

आस्तियों की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 8 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा प्रतिभूत ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफैसी अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी में निहित शक्तियों के अनुसार यहां नीचे वर्णित ऋणधारक/जमानतियों/बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है। एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, जो नीचे उल्लिखित संबंधित ट्रस्टों (फीनिक्स) के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही हैं (नीचे उल्लिखित विभिन्न बैंकों (असाइनर बैंकों) द्वारा फीनिक्स के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, संबंधित असाइनमेंट समझौतों के अनुसार, जो विशेष रूप से नीचे उल्लिखित हैं) को बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेबसाईट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से नीचे वर्णित बकाए तथा आगे के ब्याज, शुल्कों एवं लागतों आदि की वसूली के लिए ''ऑनलाइन ई–नीलामी'' द्वारा ''जैसा है जहां है, जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित'' आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बिक्री की जाएगी।

कर्जदार का नाम	श्री अतर सिंह, 12/4 क्यू, हनुमान नगर, यमुना ब्रिज, आगरा –282004, उत्तर प्रदेश, साथ ही: 21, गाटा संख्या 2475, राम बाग, शिवप्रिया कॉम्प्लेक्स, आगरा– 282006, उत्तर प्रदेश
सह–कर्जदार का नाम	1) **श्री कैलाश चंद (पुत्र श्री अतर सिंह)**, 12/4 क्यू, हनुमान नगर, यमुना ब्रिज, आगरा – 282004, उत्तर प्रदेश, **साथ ही:** 21, गाटा संख्या 2475, राम बाग, शिवप्रिया कॉम्प्लेक्स, आगरा– 282006, उत्तर प्रदेश 2) **श्रीमती शकुंतला देवी (पत्नी श्री अतर सिंह)**, 12/4 क्यू, हनुमान नगर, यमुना ब्रिज, आगरा –282004, उत्तर प्रदेश, **साथ ही:** 21, गाटा संख्या 2475, राम बाग, शिवप्रिया कॉम्प्लेक्स, आगरा– 282006, उत्तर प्रदेश
एसाइनमेंट का विवरण	**असाइनर – कार्वे फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, असाइनमेंट की तिथि** – 28/09/2018
माँग सूचना तिथि 06–04–2021 **के अनुसार देय राशि**	**रु.** 41,97,734/– (रुपए इकतालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ चौंतीस मात्र) अनुबंध दरों के अनुसार भावी ब्याज, प्रभार एवं लागत आदि सहित
01–09–2026 **के अनुसार देय राशि**	**रु.** 78,42,532/– (रुपए अठहत्तर लाख बयालीस हजार पांच सौ बत्तीस मात्र)
अचल संपत्तियों का विवरण: दुकान संख्या–21 में स्थित संपत्ति का समस्त भाग, बेसमेंट, माप क्षेत्रफल 40.06 वर्ग मीटर, शिव प्रिया कॉम्प्लेक्स, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा	
कब्जे का विवरण	फीनिक्स एआरसी ने 09.06.2023 को सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त नामित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है
संपत्ति के निरीक्षण की तिथि समय	निवेदन पर
आरक्षित मूल्य	**रु.** 20,00,271/– (रुपए बीस लाख दो सौ इकहत्तर मात्र)
जमा धरोहर राशि	**रु.** 2,00,027/– (रुपए दो लाख सत्ताईस मात्र)
ईएमडी प्रेषण विवरण: बैंक खाता – ''फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19–10'' खाता संख्या: 1312948684; कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शाखा: कलिना, मुंबई, **आईएफएससी कोड:** KKBK0000631	
वृद्धि मूल्य	**रु.** 25,000/– (रुपए पच्चीस हजार मात्र) एवं उसके गुणकों में
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	22/09/2026 (मंगलवार) 05:00 बजे अप. तक
ई–नीलामी की तिथि और समय	23/09/2026 (बुधवार) 11:00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक
सम्पत्ति निविदा दस्तावेजों के लिए लिंक: https://phoenixarc.co.in/?p=7526&preview=true	

ई–नीलामी की नियम एवं शर्तें:

1. यह नीलामी बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी पद्धत्ति की मदद एवं माध्यम से सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। नीलामी/संविदा केवल वेबसाईट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति'' में ही होगी। ई–नीलामी मंच की व्यवस्था करने के लिए मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता है। 2. यह नीलामी बोली दस्तावेजों के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेजों, नीलामी पर रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरणों/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in तथा यहाँ ऊपर वर्णित प्रत्येक मद के संबंधित लिंकों के साथ–साथ सेवा प्रदाता की वेबसाईट www.bankeauctions.com देखें। 3. बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालय/पसंद की जगह से ई–नीलामी कोटिंग/बोली में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं ही इन्टरनेट कनैक्टिविटी की व्यवस्था करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फिनिक्स/सेवा प्रदाता इन्टरनेट कनैक्टिविटी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम की विफलता, बिजली आपूर्ति में बाधा आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 4. विवरणों, सहायता, ई–नीलामी, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री भाविक पांड्या, सम्पर्क नंम्बर: +91–124–4302020/2021/2022/2023/2024, +91–8866682937, ई–मेल आईडी: support@bankeauctions.com, maharashtra@c1india.com से सम्पर्क करें। 5. नीलामी में रखी गयी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण की जांच करने/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in भी देख सकते हैं। 6. ई–नीलामी यहां ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित की जाएगी जब उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की ''जैसा है जहां है आधार, जो कुछ भी है वहीं तथा आश्रय रहित आधार'' पर बिक्री की जाएगी। 7. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल ३३स्र२:// www.bankeauction.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा उपरोक्त तिथि एवं समय को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। 8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को उल्लिखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले पैनकार्ड की प्रतियों के साथ प्रतिभूत संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य जमा धरोहर राशि के भुगतान का विवरण, कम्पनी के मामले में बोर्ड का संकल्प और और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को यहां ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु (संपत्ति) के लिए अलग–अलग ईएमडी जमा करने की आवश्यकता है। 9. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य मान लिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। 10. सफल क्रेता/बोलीदाता को ऊपर वर्णित नीलामी की तिथि को या अधिकतम अगले कार्यकारी दिन में बैंकिंग घण्टों की समाप्ति से पूर्व यहां ऊपर वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा प्रत्येक मद (सम्पत्ति) हेतु अपने प्रस्ताव की 25% (ईएमडी सहित) राशि का भुगतान करना होगा जिस भुगतान की पुष्टि फिनिक्स द्वारा की जाएगी, जिसमें असफल रहने पर बिक्री विफल मानी जाएगी तथा उक्त सफल क्रेता/बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। 11. अन्य सभी बोलीदाता जो ई–नीलामी में सफल नहीं होंगे, की ईएमडी नीलामी की समाप्ति के कार्यदिवसों के 72 घंटे के भीतर फिनिक्स द्वारा वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 12. बिक्री की शेष राशि सफल क्रेता/संविदाकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूत आस्ति की बिक्री की पुष्टि के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में स्वीकृत विस्तारित तिथि तक जमा करानी होगी। इसमें चूक होने पर तब तक जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। 13. सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अधिक जानकारी के लिए संभावित बोलीदाता श्री महेश मालुंजकर/सुश्री सुभाश्री खद्दर से उपरोक्त पते पर अथवा mahesh.m@phoenixarc.co.in/ Subhasree.khaddar@phoenixarc.co.in (ई–मेल) अथवा +91–09920381684/+91–8902632428 (मोबाइल) पर संपर्क कर सकते हैं। 14. नीलामी के किसी भी चरण में प्राधिकृत अधिकारी उसका कोई भी कारण बताए बिना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/निरस्त या नीलामी को निलंबित कर सकते हैं। 15. लागू होने वाले कानून के अनुसार उनके/अपने पक्ष में संपत्ति को प्राप्त/प्रदान करने के लिए सफल क्रेता/बोलीदाता को जमा किए जाने के लिए वांछित किसी प्रकार के वैधानिक बकाए, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा। 16. सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक बकाये, कर, दर, गणना चार्जेज, सोसायटी के बकाये, शुल्क जो किसी भी समय में सम्पत्ति के प्रति देय हो, के भुगतान के लिए केवल सफल क्रेता/संविदाकार ही उत्तरदायी होंगे। 17. उनके/अपने पक्ष में अधिकारों के अंतरण के लिए सोसायटी/किसी अन्य प्राधिकरण को देय किसी भी लागत/खर्चे/शुल्कों/प्रभारों आदि के लिए सफल क्रेता/बोलीदाता ही एकाकी रूप से उत्तरदायी होंगे। 18. ऋण धारक/बंधककर्ता जो उक्त बकाया राशि के देनदार हैं, वे उपरोक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8 के उपबंध (6) के अंतर्गत इस बिक्री सूचना को एक सूचना रूप में समझें। 19. इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी प्रतिभूत आस्ति के ऋण भारों, स्वामित्व तथा विधिक देयताओं सहित प्रतिभूत आस्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फिनिक्स की कोई प्रतिबद्धता न तो निर्मित करता है और न करेगा। फिनिक्स के अधिकृत प्राधिकारी किसी थर्ड–पार्टी